# अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 140(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 206 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने फ्रेंडशिप फाउंडेशन ट्रस्ट, गिरिराज,अंदी हिल, सेटेलाइट रोड, जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद द्वारा भरतपुर,राजस्थान में आंखों का अस्पताल/कैम्प चलाने के लिए उपस्करों और वाहनों की परियोजना

अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में मात्र छब्बीस लाख अट्ठाईस हजार की अनुमानित लागत पर क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 1 अप्रैल,1999 की अधिसूचना सं0 219(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और जिसे दिनांक 18 नवम्बर,1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1147 (अ0) द्वारा परियोजना की लागत को 26.28 लाख रूपए से बढ़ाकर 50.00 लाख रूपए करके संशोधित किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 50.00 लाख रू0 से 30.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 50.00 लाख रूपए तक संशोधित करने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

( क) एतद्द्वारा फ्रेंडशिप फाउंडेशन ट्रस्ट, गिरिराज,अंदी हिल, सेटेलाइट रोड, जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद द्वारा भरतपुर,राजस्थान में आंखों का अस्पताल/कैम्प चलाने के लिए उपस्करों और वाहनों की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; और

(ख) दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 206 (अ0) को निम्नलिखित प्रभाव तक और संशोधन करती है; नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के सम्मुख कॉलम (4) में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत लागत की राशि से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द " केवल 50.00 लाख रूपये " के स्थान पर अक्षर, आंकड़े और शब्द "30.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 50.00 लाख रूपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 39/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)